TRAI PLANS IMPLEMENTATION STRATEGY FOR REGULATORY FRAMEWORK

TRAI has issued a timeline for the implementation of the NTO 2.0 regulatory framework. All stakeholders have been given guidelines to follow as per the stipulated timeline.

The Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority"), vide letter of even number dated 03rd February 2022, directed all the broadcasters to report to the Authority, any change in name, nature, language, Maximum Retail Price (MRP) per month of channels, and composition and MRP of bouquets, as per the New Regulatory Framework 2020, by 28th February 2022. Further, it directed all the Distribution Platform Operators (DPOs) to report to the Authority, Distributor Retail Price (DRP) of pay channels and bouquets of pay channels and composition of bouquets of pay and free-to-air (FTA) channels, as per the New Regulatory Framework 2020, by 31st March 2022. Furthermore, it directed all the distributors to ensure that services to the subscribers, with effect from 01st June 2022, are provided as per the bouquets or channels opted by them.

However, the Authority received several representations from DPOs, associations of Local Cable Operators (LCOs) and consumer organizations, highlighting the difficulties likely to be faced by them in implementing the New Regulatory Framework 2020. On the basis of the said representations, the TRAI started engaging with the stakeholders through formalf informal interactions.

Subsequently, a committee was constituted under the aegis of the TRAI, consisting of members from the Indian Broadcasting and Digital Foundation, the All India Digital Cable Federation and DTH Association, to look into the process of smooth implementation of the provisions of the New Regulatory Framework 2020 keeping in view consumers benefit and suggest measures thereof, and to

ट्राई ने नियामक फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की योजना बनायी

ट्राई ने एनटीओ 2.0 नियामक फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समयरेखा जारी की है। सभी हितधारकों को इसका पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 3 फरवरी 2022 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से सभी प्रसारकों को प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। 28 फरवरी 2022 तक नया नियामक फ्रेमवर्क 2020 के मुताबिक नाम, प्रकृति, भाषा, चैनलों के प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और बुके संरचना और एमआरपी में किसी तरह की बदलाव के बारे में रिपोर्ट देने को कहा गया। इसके अलावा इसने सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को पे चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल प्राइस (डीआरपी) और पे चैनलों के बुके और पे व फ्री–टू–एयर (एफटीए) चैनलों के बुके की संरचना के बारे में प्राधिकरण को नये नियामक फ्रेमवर्क 2020 के अनुसार 31 मार्च 2022 तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने सभी वितरकों यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 1 जून 2022 से ग्राहकों को सेवायें उनके द्वारा चुने गये बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाए।

हालांकि प्राधिकरण को डीपीओ, स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के संघों और उपभोक्ता संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें नये नियामक ढ़ांचे 2020 को लागू करने में उनके सामने आने वाली कठिनाईयों पर प्रकाश डाला गया। उक्त अभ्यावेदन के आधार पर ट्राई ने औपचारिक/अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ना शुरू किया।

इसके बाद ट्राई के तत्वावधान में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे, ताकि उपभोक्ताओं के लाभ को ध्यान में रखते हुए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के प्रावधानों को सुचारू रूप से लागू करने की प्रक्रिया को देखना और

identify impediments with counter measures for overall growth of the broadcasting sector.

The said committee listed several issues related to the New Regulatory Framework 2020 for consideration. The stakeholders also requested the Authority to immediately address critical issues so as to have smooth implementation of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2020 (1 of 2020) dated the 01st January 2020.

In order to address the issues as identified by the said committee, the Authority released Consultation Paper no. 05/2022 dated the 07th May 2022 on "Issues related to New Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services". Keeping in view the ongoing consultation process, it has been decided to extend the deadlines as provided under the said letter dated 03rd February 2022.

Now, therefore, all the broadcasters shall report to the Authority, any change in name, nature, language, MRP per month of channels, and composition and MRP of bouquets of channels as per the New Regulatory Framework 2020, by 31st August 2022, and simultaneously publish such information on their websites. The broadcasters who have already submitted their RIOs in compliance of the New Regulatory Framework 2020 may also revise their RIOs by 31st August 2022.

Further, all DPOs shall report to the Authority, DRP of pay channels and bouquets of pay channels, and composition of bouquets of pay and FTA channels, as per the New Regulatory Framework 2020 by 30th September 2022, and simultaneously publish such information on their websites. DPOs who have already submitted their RIOs in compliance of the New Regulatory Framework 2020 may also revise their RIOs by 30th September 2022.

Furthermore, all the distributors of television channels shall ensure that services to the subscribers, with effect from 30th November 2022, are provided as per the bouquets or channels opted by them.

This issues with the approval of the competent authority. ■

इसके उपाय सुझाना और प्रसारण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए काउंटर उपायों के साथ बाधाओं की पहचान की जा सके।

उक्त समिति ने न्यू रेग्यूलेटरी फ्रेमवर्क 2020 से संबंधित कई मुद्दों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। हितधारकों ने प्राधिकरण से महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत संबोधित करने का भी अनुरोध किया ताकि दूरसंचार (प्रसारण व केबल) सेवाओं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (द्वितीय संशोधन) आदेश 2020 (2020 का 1) दिनांक 1 जनवरी 2020 को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

उक्त समिति द्वारा पहचाने गये मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्राधिकरण 'प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नये नियामक ढ़ांचे से संबंधित मुद्दों' पर 7 मई 2022 को परामर्श पत्र संख्या 05/2022 जारी किया। चल रही परामर्श प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए दिनांक 3 फरवरी 2022 के उक्त पत्र के तहत प्रदान की गयी समयसीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब सभी प्रसारक 31 अगस्त 2022 तक प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे, चैनलों के नाम, प्रकृति, भाषा, एमआरपी प्रति माह और चैनलों के बुके की संरचना और एमआरपी में किसी तरह की बदलाव के बारे में 31 अगस्त 2022 तक रिपोर्ट करेंगे और साथ ही इस तरह की जानकारी को अपने वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेंगे। जिन प्रसारकों ने नये नियामक फ्रेमवर्क 2020 के अनुपालन में अपने रियो को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 31 अगस्त 2022 तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।

इसके अलावा, सभी डीपीओ 30 सितंबर 2022 तक प्राधिकरण को पे चैनलों के डीआरपी और पे चैनलों के बुके, और पे व एफटीए चैनलों के बुके संरचना को नये नियामक ढ़ांचे 2020 के अनुसार रिपोर्ट करेंगे और साथ ही इस तरह की जानकारी को अपने वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे। डीपीओ जिन्होंने नये नियामक ढ़ांचा 2020 के अनुपालन में अपने रियो को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 30 सितंबर 2022 तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।

इसके अलावा टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि 30 नवंबर 2022 से ग्राहकों की सेवायें उनके द्वारा चुने गये बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

SATELLITE & Cable TV
MAGAZINE

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Tel.: +91-22-6216 5313
Email: scat.sales@nm-india.com